तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23/8/22	आज पत्रावली पेश हुई वादिनी श्रीमती [illegible] (1) धारा अधीन अधिनियम [illegible] प्रकरण किया गया और प्रारंभिक कार्यवाही किया गया। नोटिस अग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 20/9/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]
27/9/22	आज पत्रावली जाब्ता पेशी से पेश हुई। वादिनी साक्ष्य प्रार्थी गैरसाक्षान द्वारा इकरारनामा फिर किया जा चुका है। दूसरी गैरसाक्षान से कोई कुछ तोड़ नहीं चाहता है। इस प्रकार कुटुम्ब के आपसी सहमति के कारण पक्षकारों में विवाद जारी रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सानन्द स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पोषण युक्त होकर नम्बर से करें। आज तक्सीम शुल्क दावे के साथ संलग्न है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी [illegible]